भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं.142#

गुरुवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा संबंधी पर्यटन

142# डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी नागरिक चिकित्सा उपचार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक के रूप में भारत आ रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले पर्यटकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चिकित्सा पर्यटन के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत अथवा जारी की गई है और राज्य सरकारों द्वारा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): वर्ष 2019 से 2021 के दौरान चिकित्सा के लिए भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	वर्ष	भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन (आंकड़े लाख में)	चिकित्सा के लिए विदेशी पर्यटक आगमन (आंकड़े लाख में)
1.	2019	109.3	6.97
2.	2020	27.44	1.83
3.	2021	15.27	3.23

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय द्वारा विदेशी पर्यटक आगमन का राज्य-वार डाटा तैयार नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ): देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप तैयार किया है । इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को चिह्नित किया गया है :

(i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड तैयार करना
(ii) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन हेतु ईको सिस्टम को सुदृढ़ बनाना
(iii) ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजिटलीकरण को सक्षम बनाना
(iv) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुंच में वृद्धि करना
(v) निरोगता पर्यटन का संवर्धन करना
(vi) शासन एवं संस्थागत कार्यढांचा

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के लिए औद्योगिक हितधारकों को 19,30,000/-रु. की स्वीकृति दी है ।

भारत सरकार ने दिनांक 30.11.2016 को मिले मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसरण में ई-पर्यटक वीजा योजना का उदारीकरण किया और ई-पर्यटक वीजा (ई-टीवी) योजना का नाम बदलकर ई-वीजा योजना कर दिया गया था और वर्तमान में ई-वीजा की उप-श्रेणियों में ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा शामिल है ।

ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा के मामले में तीन बार प्रवेश की अनुमति है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा 6 माह तक का समय विस्तार दिया जा सकता है। चिकित्सा सहयोगी वीजा प्रधान ई-वीजा धारक के वीजा की वैधता के साथ ही समाप्त होगा ।

*****